COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

230

-1-

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

R 4018-16

बाबूलाल पिता राजाराम गौड़ (आदिवासी)
निवासी ग्राम मसानझिरी तह. जिला सागर
.......आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला–सागर के प्रकरण क्र. 65/अ/21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12–11–16 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, मौजा मसानझिरी तह. व जिला–सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 117/1 रकवा 0.67 हे0, भूमि खसरा नंबर 117/2 रकवा 0.67 हे0 कुल रकवा 1.34 हे0 भूमि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र कमशः दिनांक 21.09.10 एवं 27.11.12 को कय कर मालकाना हक प्राप्त किया था आवेदक के पिता बीमारी से ग्रस्त हो जाने के कारण उनके इलाज हेतु आवश्यक रूप से पैसे की जरूरत होने से उसने अपनी कयशुदा भूमि को विकय करने इकरार कर कुछ पैसा प्राप्त किया था किंतु उक्त भूमि के विकय हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किए जाने से यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है ।

2. यह कि आवेदक के पिता का बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया उनके इलाज में काफी रूपया लग गया जिससे आवेदक के ऊपर कर्ज हो गया है

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

30-11-16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 4018 - I/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.11.16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उपभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क श्रवण किए गये। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर जिला—सागर के प्रकरण क्र. 65/अ/21/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 12—11—16 के विरूद्व म0प्र0 भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि मौजा मसानझिरी तह. व जिला—सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 117/1 रकवा 0.67 हे0, भूमि खसरा नंबर 117/2 रकवा 0.67 हे0 कुल रकवा 1.34 हे0 भूमि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमशः दिनांक 21.09.10 एवं 27.11.12 को क्रय कर मालकाना हक प्राप्त किया था आवेदक के पिता बीमारी से ग्रस्त हो जाने के कारण उनके इलाज हेतु आवश्यक रूप से पैसे की जरूरत होने से उसने अपनी क्रयशुदा भूमि को विक्रय करने का आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे विक्रय उपरांत ऋण की अदायगी एवं शेष राशि से अपनी शेष भूमि को उन्नत बनाने हेतु फेन्सिंग एवं सिचाई आदि में खर्च कर अपनी गुजर बसर कर सकता है किंतु उक्त भूमि के विक्रय करने के पश्चात आवेदक भूमिहीन नहीं होगा क्योंकि मसानझिरी में उसके पास अन्य भूमि स्थित है जिससे वह गुजर बसर हो सकेगा। जिसके संबंध में ग्राम पंचायत मजगुवां अहीर से विधिवत अनुसंशा उपरांत भूमि विक्रय किए जाने में कोई आपत्ति न होने का प्रतिवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है आवेदक के आवेदन पर हल्का पटवारी एवं तहसीलदार सागर ने भी विधिवत जांच उपरांत आवेदक भूमिहीन न होने एवं भूमि विक्रय किए जाने की अनुसंशा की किंतु कलेक्टर सागर द्वारा प्रस्तुत आवदेन को भूमिहीन की श्रेणी में आने के आधार पर निरस्त किया है इस	

R-4018 I/16 (सागर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कारण पारित आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।	
	3— आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से कय की गई भूमि है शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन इस आधार पर निरस्त किया है कि यदि उक्त भूमि की अनुमति दी जाती है तो आवेदक भूमिहीन श्रेणी के अधीन होगा और उसे जीवन यापन में कठनाई होगी। आवेदक प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 21.09.10 एवं 27.11.01 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें आवेदक द्वारा ही भूमि को क्रय किया है विक्रय की अनुमति हेतु चाही गई भूमि शासन द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है न ही आवेदक भूमिहीन हो रहा है जिसके कारण आवेदक को वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की काई वैद्यानिक अड़चन नहीं है।	
	4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर जिला सागर द्वारा प्रश्नगत आदेश दि. 12.11.16 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम मसानझिरी में स्थित खसरा नंबर 117/1 रकवा 0.67 हे0 एवं 117/2 रकवा 0.67 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विकय–विलेख संपादित होने के दौरान शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विक्रेता को विकय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं – उपपंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय विलेख संपादित करें।	
	सदस्य	